न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या ／2020

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. देवाराम पुत्र निम्बाराम जाट निवासी– हरीनगर, ढाढणिया भायला, तहसील बालेसर जोधपुर।		1. ग्राम पंचायत, ढाढणिया भायला, पंचायत समिति बालेसर 2. जिला कलेक्टर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व अधिनियम, 1956 जिला कलेक्टर,जोधपुर के आदेश क्रमांक प.12 (3–)राज／आवंटन／21／ 237 दिनांक 12.01.2021 जिसके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढाढणिया भायला को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित की, के विरूद्ध प्रस्तुत हुई।

उपस्थितीः––
1. श्री दीवाकर शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक प.12(3–)राज／आवंटन／21／237 दिनांक 12.01.2021 जिसके द्वारा ग्राम ढाढणिया में ख0सं0 509 रकबा 83.12 बीघा गैर मुमकीन गोचर में से 05 बीघा भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढाढणिया भायला को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई, के विरूद्ध प्रस्तुत हुई।
2. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस सुनी।
3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि ग्राम पंचायत, ढाढणिया भायला के द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर के कार्यालय में आवेदन कर दिनांक 12.10.2020 को ग्राम के ख0सं0 509 रकबा 83 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन गोचर में से 05 बीघा भूमि का आवंटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, के भवन निर्माण हेतु करवा लिया, जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर

रहे है। श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा जो आदेश जारी किया है वो विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है क्योंकि आदेश पारित करने से पूर्व राज0 भूमि आवंटन नियम, 1963 की पूर्ण रूप से पालना किये बिना एवं आवंटन करने से बिना सार्व0 सूचना प्रकाशन किये ही आवंटन कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

4. अपीलान्टस के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी उक्त ग्राम हरीनगर ढाढणिया भायला का स्थाई निवासी है तथा उसके द्वारा अपनी एकल खातेदारी कब्जा काश्त वाली ख0स0 597 कुल रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमें 04 बीघा बाबत एक दान विलेख पत्र ग्राम पंचायत ढाढणिया भायला के पक्ष में दिनांक 22.07.2013 को ही निष्पादित किया जिसमें ग्राम पंचायत में सरकारी अस्पताल के बाबत निर्माण कार्य किया जा सके। तत्पश्चात वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भवन निर्माण नहीं हो सका।

5. अपीलान्टस के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि दिनांक 10.7.2021 को ग्राम में लोगों के द्वारा गोचर भूमि पर सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य बाबत जानकारी दी, तब अपीलार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय से सम्पर्क किया तो अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश जारी होने की जानकारी हुई। ग्राम के सरपंच द्वारा पटवारी व तहसीलदार से मिलीभगत कर उक्त चिकित्सालय हेतु भूमि मौजूद होने के बावजूद भी जिला कलेक्टर कार्यालय से आवंटन की कार्यवाही करवाकर आवंटन प्रपत्र में झूठी सूचनाएं प्रेषित करवाकर ग्राम के अन्य ख0सं0 509 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा गैर मुमकीन गोचर में से 05 बीघा भूमि का आवंटन करवा लिया।

6. अपीलान्टस के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा नियम विरूद्ध सरकार भूमि/गोचर भूमि का आंवटन करवाया है जबकि राज0 कृषि भूमि का आवंटन नियम 1963 के विपरित जाकर उक्त आवंटन करवाया है जो अपास्त व खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त जब किसी सार्व0 प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु भूमि पूर्व से ही उपलब्ध हो तो अन्यत्र राजकीय भूमि का आवंटन किया जाना नियम विरूद्ध है एवं इस प्रकार से आवंटन करवाने के हकदार नहीं होते है।

7. अपीलान्टस के अभिभाषक ने अन्त में यह कथन किया कि उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2021 को अपास्त किया जावे एवं खसरा संख्या 509 रकबा 83.12 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर में आवंटित की गई 05 बीघा भूमि को पुनः राजकीय रेकर्ड में गैर मुमकीन गोचर भूमि में सम्मिलित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

8. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील में दर्शाये गये तथ्यों का एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उनकी ओर से की गई बहस पर मनन किया। जिससे यह पाया जाता है कि जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर के समक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ढाढणिया भायला के द्वारा लिये गये प्रस्ताव अनुसार ग्राम के ख0सं0 509 रकबा 83 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन गोचर भूमि में से 05 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, बालेसर से अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2021 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाढलिया भायला के भवन निर्माण हेतु आवंटित की जाना पाया जाता है।

9. अपीलान्ट की ओर से अपनी अपील में मुख्य रूप से यह अंकित किया एवं कथन किया है कि उनके द्वारा एक दानपत्र के जरिये अपनी खातेदारी भूमि में से 04 बीघा भूमि का दान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करवाये जाने हेतु ग्राम पंचायत को जरिये पंजीकृत विलेख पत्र के दिनांक 22.07.2013 को ही कर दिया गया था, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय को थी, उक्त तथ्य ग्राम पंचायत के द्वारा तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से छुपाते हुए भूमि आवंटन हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किये गये। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की छायाप्रतियों के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलान्ट की ओर से दान की गई भूमि 04 बीघा तथा ख0सं0 598 गैर मुमकीन आबादी में से 1.11 बीघा भूमि सम्मिलित करते हुए कुल 5.11 बीघा भूमि उपलब्ध होना बताया है, ऐसे में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत को दान की गई 04 बीघा भूमि व अन्य 1.11 बीघा भूमि पूर्व समय से ही उपलब्ध रही है तो ग्राम की ही अन्य गैर मुमकीन गोचर राजकीय भूमि में से 05 बीधा भूमि का आवंटन करवाये जाने के नये सिरे से ऐसा प्रस्ताव लिये जाने के क्या

कारण रहे। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर हमारे विनम्र मत में प्रकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम ढाढणिया भायला के भवन निर्माण हेतु भूमि हेतु ग्राम में भूमि की उपलब्धता की जॉच करवाये जाने तथा अपीलान्ट के पक्ष को भी सुने जाने के पश्चात नये सिरे से विधि अनुरूप आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर जिला कलेक्टर, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उल्लेखित प्रकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम ढाढणिया के भवन निर्माण के लिये भूमि आवंटन हेतु ग्राम ढाढणिया भायला में भूमि की उपलब्धता यानि पूर्व से आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध होने अथवा नहीं होने की जॉच करवाये जाने तथा अपीलान्ट के पक्ष को भी सुने जाने के पश्चात नये सिरे से विधि अनुरूप आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक .07..2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर